**दिनांक 15 मई, 2017**

**<u>चर्न बुकिंग पर स्पष्टीकरण</u>:**

**बीआईडीटी नीति के अनुसार चर्निंग की परिभाषा**

**चर्निंग**

चर्निंग का अर्थ एक या अधिक पीएनआर या जीडीएस/सीआरएस में सेवा की एक या विभिन्न श्रेणियों में एक आईटेनरी को बार-बार रद्द करना या बार-बार बुकिंग करना है। चर्निंग अक्सर टिकटिंग समयसीमा में गतिरोध उत्पन्न करने के लिए की जाती है। यह परिपाटी पूरी तरह अस्वीकार्य है क्योंकि इससे अन्य सेवा प्रदात्ताओं से सीटें ब्लॉक हो जाती हैं तथा हमारे ग्राहकों को असुविधा होती है। आपसे सभी बुकिंग तथा टिकटिंग अपेक्षाओं के अनुपालन का अनुरोध है। यदि किसी यात्री की बुकिंग छह या अधिक बार देखी जाती है तो उचित लागू वसूली तथा दंडात्मक कार्रवाई के साथ सभी मौजूद बुकिंग रद्द कर दी जाएगी।

''चर्निंग'' की किसी भी कारण से अनुमति नहीं होगी जिसमें, बिना किसी सीमा के, टिकटिंग की समय सीमा बढ़ाना या उसमें गतिरोध पैदा करना, इनवेंटरी को रखने के लिए या किराए का पता लगाने के लिए या एक आईटेनरी से दूसरे में विशेष टिप्पणियों को कैरी फारवर्ड करना भी सम्मिलित है।

**एअर इंडिया की बीआईडीटी नीति के अनुसार यदि यात्री ने एअर इंडिया का टिकट नहीं लिया है तो उसे पांच चर्न तक की छूट दी जाएगी।**

**ट्रैवल एजेंट ने अपने जीडीएस प्रणाली में बुकिंग चाहे रद्द की हो या नहीं की हो, एअर इंडिया पांच से अधिक चर्न के लिए प्रभार लगाएगा। एअर इंडिया द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक चर्निंग पर प्रभार लगाने का कारण यह है कि क्योंकि इससे अन्य संभावित यात्रियों से इनवेंटरी पर रोक लग जाती है जिससे राजस्व की हानि होती है।**

**कार्यपालक निदेशक**
**राजस्व प्रबंधन एवं औद्योगिक कार्य**
**एअर इंडिया लिमिटेड**